भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 847
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्लॉट्स

847. डॉ. सी. एम. रमेशः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या भारतीय एयरलाइनों को एम्सटर्डम और हीथ्रो जैसे प्रमुख विदेशी हवाई अड्डों पर स्लॉट्स प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि भारतीय एयरलाइन प्रदत्त उड़ान अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करने में असमर्थ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों, विशेष रूप से यूरोपीय देशों में भारतीय एयरलाइनों के शीतकालीन स्लॉट्स अब तक हवाई अड्डा प्राधिकरणों द्वारा निश्चित नहीं किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में संबंधित प्राधिकरणों के साथ कोई चर्चा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) भारतीय वाहकों सहित विश्व भर की एयरलाइनों को कभी-कभी एम्स्टर्डम और हीथ्रो सहित विभिन्न हवाईअड्डों पर स्लॉट के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। स्लॉट प्राप्त करने का दायित्व एयरलाइनों का है और इस उद्देश्य के लिए सभी वाहक संबंधित हवाईअड्डों या स्लॉट समन्वयकों के साथ संपर्क में रहते हैं।

(ख) भारतीय वाहकों द्वारा यातायात/उड़ान अधिकारों का उपयोग, मार्ग हेतु विमान की उपलब्धता, हवाईअड्डे के स्लॉट के आवंटन, आवश्यक विनियामक अनुमोदनों, आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर करता है।

(ग) शीतकालीन 2025 अनुसूची के लिए स्लॉटों को, अनुसूची (26 अक्टूबर 2025) के प्रारम्भ होने के बहुत पहले ही संबंधित हवाईअड्डों/उनके स्लॉट समन्वयकों द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया था।

(घ) स्लॉट से संबन्धित मामले, आम तौर पर सरकार के दायरे में नहीं आते हैं। तथापि जब भी कोई भारतीय वाहक स्लॉटों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करते हैं, तब भारत सरकार, एयरलाइन के अनुरोध पर, द्विपक्षीय बैठकों के दौरान इस मुद्दे को उठाती है और संबंधित देश से उनके हवाईअड्डों पर स्लॉट आवंटन की सुविधा के लिए अनुरोध करती है।

*****